प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'साठ'

[18/3/2016]

प्रश्न सं. [क्र. 5562]

परिशिष्ट–अ

(प्रश्नांश 'क' की जानकारी)

विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमाँक 5562 द्वारा माननीय सदस्य श्री जीतू पटवारी

———

1. **म.प्र. राज्य खनिज निगम लिमिटेड** – म.प्र. राज्य खनिज निगम लिमिटेड को पूर्व में आवंटित कोल ब्लाक अमेलिया नार्थ, डोंगरीताल–।। एवं मण्डला साउथ के विकास एवं खनन हेतु जे.पी. ग्रुप के साथ 03 संयुक्त क्षेत्र कंपनियां गठित की गई थी जिसमें म.प्र. राज्य खनिज निगम की हिस्सेदारी 51 प्रतिशत एवं जे.पी. एसोसिएट लिमिटेड की 49 प्रतिशत है। उपरोक्त कोल ब्लाक का आवंटन निरस्त होने के कारण उक्त संयुक्त क्षेत्र कंपनियों की कोई व्यवसायिक गतिविधियां नहीं हो रही हैं।

2. **जिला रीवा** – रीवा जिले में जे.पी. ग्रुप के स्वामित्व की 08 खदानें चूना पत्थर हेतु संचालित हैं। रीवा जिले में म.प्र. राज्य खनिज निगम की खदानों में जे.पी. ग्रुप की कोई हिस्सेदारी नहीं है

3. **जिला सिंगरौली** – सिंगरौली जिले में जे.पी. ग्रुप के स्वामित्व की कोयला खनिज की 01 खदान (खनिपट्टा) ग्राम मझौली, तहसील देवसर, जिला सिंगरौली के रकबा 728.750 हेक्टेयर क्षेत्र पर अमेलिया नार्थ कोल ब्लाक, अवधि दिनाँक 25.05.2015 से 03.02.2033 तक स्वीकृत होकर संचालित है तथा ग्राम छमरछ तहसील सरई जिला सिंगरौली के खसरा क्रमाँक 2277 रकबा 3.00 हेक्टेयर क्षेत्र पर क्रशर आधारित उत्खनिपट्टा अवधि दिनाँक 11.04.2011 से 10.04.2016 तक स्वीकृत है जो वर्तमान में पर्यावरणीय अनुमति के अभाव में शिथिल है।

4. **जिला सतना** – सतना जिले में जे.पी. ग्रुप के स्वामित्व की 03 खदानें स्वीकृत तथा संचालित हैं।

5. **जिला सीधी** – सीधी जिले में जे.पी. ग्रुप के स्वामित्व की चूना पत्थर की 04 खदानें स्वीकृत होकर संचालित हैं।

6. **जिला छिंदवाड़ा** – छिंदवाड़ा जिले में तहसील परासिया में जे.पी. ग्रुप एसोसिएट की 02 खदानें खनिज कोयले की स्वीकृत हैं।

———

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन,
खनिज साधन विभाग

D:\2016\NOTESHEET\MARCH-2016.doc